

(1)

राजस्थान-सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान-जयपुर।

क्रमांक: प.3()/निचिस्वा/विधि/2018/ दिनांक:-

आदेश


निदेशालय के आदेश दिनांक 03.01.2006 के द्वारा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01 भंवर लाल नागवाल बनाम राज्य 08/2004 में परित निर्णय दिनांक 23.09.2005 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल फर्स्ट अपील दायर करने हेतु श्री अनिल कुमार बिस्सा, राजकीय अधिवक्ता, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को नियुक्त किया गया था के स्थान पर विभाग की ओर से श्री कान्ति लाल ठाकुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को पैरवी हेतु नियुक्त किया जाता है।

५

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.3()/निचिस्वा/विधि/2018/1059 दिनांक:- 26-11-18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 शासन सचिव (विधि), राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण श्री कान्ति लाल ठाकुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को पैरवी हेतु नियुक्ति आदेश अनुमोदन हेतु प्रेषित है।
- 2 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर
- 3 श्री अनिल कुमार बिस्सा, राजकीय अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
- 4 श्री कान्ति लाल ठाकुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर।
- 5 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर एवं केस प्रभारी अधिकारी को आदेश की प्रति प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में तत्काल श्री कान्ति लाल ठाकुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से संपर्क कर प्रकरण में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दायर कराने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करावें।
- 6 डॉ० बी एम स्वर्णकार, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा०) जोधपुर एवं स्थाई केस प्रभारी अधिकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर।
- 7 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को वास्ते विभाग की साईड पर अपलोड करने एवं संबंधित अधिकारियों को ई-मेल करने बाबत।
- 8 आदेश/रक्षित पत्रावली।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर